कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
आफिस काम्पलेक्स बी ब्लाक गौतम नगर भोपाल–23
0000

क्रमांक / पंजी. / 1 / 2008–09 / **1806** भोपाल, दिनांक 15.12.2008

''अभिरूचि की अभिव्यक्ति''
"Expression Of Interest"

ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाईन हार्वेस्टर, शक्ति चलित कृषि यंत्र, हस्तचलित कृषि यंत्र, बैल चलित कृषि यंत्र, पौध संरक्षण यंत्र, ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं सिंचाई पंप तथा अन्य सहायक सामग्री के निर्माताओं के पंजीयन हेतु सूचना

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न अनुदान योजनाओं अंतर्गत कृषकों को आदान सामग्री के क्रय पर अनुदान दिया जाता है। आदान सामग्री का क्रय कृषक पंजीकृत निर्माताओ अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से सीधे कर अनुदान प्राप्त कर सकते है। इस हेतु निम्न आदान सामग्री के ऐसे निर्माताओ से **''अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression Of Interest)** के आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो आई.एस.आई. मार्का सामग्री का निर्माण करते हैं अथवा इन सामग्रियों को अपने रजिस्टर्ड ब्राण्ड नेम से निर्मित करवाते हैं। निर्माताओं का पंजीयन वर्ष 2008–09(शेष अवधि) एवं 2009–10 वित्तीय वर्ष के लिये किया जाना है जिस हेतु निर्धारित शर्ते एवं आवेदन पत्र निःशुल्क कार्यालयीन समय में संचालक, कृषि अभियांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। हस्तचलित कृषि यंत्रों एवं बैल चलित कृषि यंत्रों के निर्माताओं का पंजीयन जिलो के उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जाना है अतएव आवेदन पत्र जिले के उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास से प्राप्त कर वहीं जमा किये जावे।

1. **ट्रैक्टर / पावर टिलर / कंबाईन हार्वेस्टर :–** ट्रैक्टर, पावर टिलर एवं कंबाइन हार्वेस्टर (भारत सरकार द्वारा अनुदान हेतु जारी सूची अनुसार)।
2. **शक्ति चलित कृषि यंत्र :–**
   (अ) स्वचलित (सेल्फ प्रोपेल्ड) मशीन
   (ब) विशेष शक्तिचलित उपकरण
   (स) शक्ति चलित यंत्र / उपकरण (ट्रैक्टर / पावर टिलर चलित)
   (द) पावर थ्रेशर (सभी प्रकार के ISI मार्क)
   राशि रू. 10000 / – से अधिक कीमत के यंत्र ISI मार्का के अथवा भारत सरकार के किसी ''फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग केन्द्र'' से परीक्षित हों। इसके अतिरिक्त ऐसे यंत्र जो राज्य अथवा केन्द्र शासन द्वारा चिंहांकित संस्थाओं से परीक्षित हों, भी मान्य होंगे।
3. **हस्तचलित कृषि यंत्र एवं बैल चलित कृषि यंत्र :–** जमीन की तैयारी के यंत्र. बोनी के यंत्र, निंदाई–गुड़ाई, कटाई तथा थ्रेसिंग के हस्तचलित अथवा बैल चलित यंत्र जो केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय संस्थाओं / विश्वविद्यालयों अथवा विभाग द्वारा निर्धारित डिजाईन / स्पेशिफिकेशन के अनुसार हों।
4. **पौध संरक्षण यंत्र एवं फर्टीलाइजर ब्राडकास्टर :–**
   (अ) हस्त चलित पौध संरक्षण यंत्र
   (ब) शक्ति चलित पौध संरक्षण यंत्र
   (स) ट्रेक्टर माउन्टेड पौध संरक्षण यंत्र
   (द) एरो ब्लास्ट स्प्रेयर
   (इ) फर्टीलाइजर ब्राडकास्टर
   (अ), (ब) एवं (इ) निर्धारित ISI मार्क के होना आवश्यक । (स) एवं (द) निर्धारित ISI मार्क अथवा भारत सरकार के किसी ''फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग केन्द्र'' से परीक्षित होना आवश्यक ।
5. **सिंचाई पंप :–** सिंचाई पंप निर्धारित ISI मार्क के होना चाहिए । जिन सहायक सामग्री हेतु ISI स्टैन्डर्ड है वे उस ISI स्टैन्डर्ड के होना चाहिये।
   (अ) विद्युत / डीजल पंप सेट (10 एच.पी. / 7.5 कि.वाट तक के)
   (ब) सबमर्सिबल पंप , ओपनवेल / मोनो ब्लाक / कपल्ड पम्प सेट
   (स) सिंचाई पंपों की सहायक सामग्री।
6. **ड्रिप सिंचाई प्रणाली एवं सहायक सामग्री :–** जिन अवयवों हेतु ISI स्टैन्डर्ड है वे उस ISI स्टैन्डर्ड के होना चाहिये।
7. **स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली एवं सहायक सामग्री :–** जिन अवयवों हेतु ISI स्टैन्डर्ड है वे उस ISI स्टैन्डर्ड के होना चाहिये।

sd/-
संचालक कृषि अभियांत्रिकी,
मध्यप्रदेश, भोपाल